

टेक्निकल विड  
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कुशीनगर।  
निविदा पत्र

कार्य का विवरण—

आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/  
कम्प्यूटर सहायकों की सेवाएं लिये जाने हेतु।

निविदा आमंत्रित करने वाले पत्र की संख्या.....906 / 29क-वी0आर0सी0-2017 दिनांक.....01 जुलाई, 2017

- |   |  |
|---|--|
| 1-निविदा का मूल्य                                     | - रूपये-500-00   |
| 2-धरोहर की धनराशि                                     | - रूपये-20,000-00  |
| 3-निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक                      | - दिनांक 05.07.2017 अपराह्न 2.00 बजे तक                        |
| 4-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवा अवधि- | दिनांक 01.07.2017 से 28.02.2018 तक के लिए अनुबन्धित की जायेगी। |

नियम व शर्तें

1. टेण्डर फार्म सीलबन्ध लिफाफे में दिनांक 05.07.2017 को अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।
2. संबंधित सेवाप्रदाता संस्था को टेण्डर फार्म के साथ रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन अधिकारी, कुशीनगर के पक्ष में बन्धक हो, धरोहर के रूप में संलग्न करनी होगी।
3. सेवाप्रदाता संस्थाओं से प्राप्त सीलबन्ध निविदाएं दिनांक 05.07.2017 को ही अपराह्न 03.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।
4. सेवा प्रदाता संस्था "मैन पावर आउटसोर्सिंग एजेन्सी" उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर इत्यादि तथा अन्य अधिकृत एवं इस हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित सेवाप्रदाता संस्थाओं के माध्यम से ली जा सकती है, नाईलेट, यू0पी0डेस्को, यू0पी0एल0सी0, अपट्रान, निक्सी आदि शासकीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायक की न्यूनतम शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता इण्टरमीडिए+कम्प्यूटर प्रचालन में DOEACC सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति अपेक्षित होगी।
6. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों को ERMS अथवा विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयरों पर ऑनलाईन/आफलाईन डाटा इन्ट्री कार्य करने का ज्ञान हो।
7. स्थानीय स्तर पर रखे जाने वाले कार्मिकों को नियमानुसार कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु अनुमन्य न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) देय होगा जो कि वर्तमान में कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 जी0टी0रोड, कानपुर के पत्र संख्या-471-500/प्रवर्तन0-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 27.03.2017 के आधार पर कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु कुल रू0 9,119/- प्रति कार्मिक, प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित है। उक्त अनुमन्य पारिश्रमिक वर्तमान में दिनांक 30.09.2017 तक अनुमन्य होगा। कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 जी0टी0रोड, कानपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अर्न्तगत देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी की दशा में उक्त धनराशि में तदनुसार वृद्धि हो जायेगी।
8. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा लिया जाने वाला Administrative Charges, (Maximum 8% on minimum wages अथवा वास्तविक जो भी कम हो), applicable Service Tax (वर्तमान में सर्विस टैक्स @ 14%, SBC @ 0.50% & KKC @ 0.50%) तथा श्रम सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अर्न्तगत देय वैधानिक चार्जेज EPF (Employee Share @ 12%, Employer Share @ 13.36%) & ESI (Employee Share @ 1.75%, Employer Share @ 4.75%) अलग से देय होंगे।

कमश: 2 पर।

9. Administrative Charges को छोड़कर शेष विद्यमान/लागू करों की दरों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बदलाव की स्थिति में तदनुसार उक्त दर में घटोत्तरी/बढोत्तरी हो जायेगी जिसको लागू करने का दायित्व चयनित सेवाप्रदाता संस्था का होगा।
10. स्थानीय स्तर पर चयनित सेवाप्रदाता संस्था को Minimum Wages के आधार पर अनुमन्य पारिश्रमिक के सापेक्ष 8% Administrative Charges अथवा वास्तविक जो भी कम हो, देय होगा।
11. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान केवल उनके बचत खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही स्थानान्तरित करना होगा। कार्मिकों को कोई नकद भुगतान, चेक अथवा ड्रापट से देय नहीं होगा।
12. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनुमन्य पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बचत खातों में स्थानान्तरित करना होगा तथा सर्विस टैक्स, EPF एवं नियमानुसार अन्य वैधानिक चार्जेज FSI इत्यादि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना होगा तथा संबंधित सभी प्रपत्र अगले माह के पारिश्रमिक से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे।
13. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा प्रत्येक माह के पारिश्रमिक से संबंधित देयक निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जिला निर्वाचन कार्यालय, कुशीनगर में प्रस्तुत करना होगा। फर्म के देयकों का भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर अलग से कोई ब्याज आदि देय नहीं होगा।
14. आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले जिन कार्मिकों का EPF एवं FSI खाता नहीं है, उनके एवं खाते खुलवाने की कार्यवाही चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
15. डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य छोड़ने की दशा में सेवा प्रदाता संस्था को कार्य में बिना किसी व्यवधान के अन्य डाटा इन्ट्री आपरेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
16. उपरोक्त सेवाएँ दिनांक 01-07-2017 अथवा चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि (जो भी बाद में हो) से लेकर दिनांक 28.02.2018 तक के लिए ही अनुबंधित की जायेगी।
17. उपरोक्त सेवाएँ पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जायेंगी एवं किसी भी समय सेवाप्रदाता संस्था को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
18. निविदादाता को अपनी निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेंसियल) दो पृथक-पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। टेक्निकल लिफाफे में बैंक ड्रापट तथा कार्य से संबंधित अनुभव तथा फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0 आदि देने होंगे तथा फाइनेंसियल लिफाफे में अपनी प्रस्तावित दरें देनी होंगी।
19. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त संबंधित फर्म को अकंन रू0 100.00 (रूपये एक सौ) के स्टाम पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. किसी वाद के मामले में न्याय क्षेत्र जनपद कुशीनगर होगा।

जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
कुशीनगर।

- 1-निविदादाता दाता का नाम व हस्ताक्षर :-
- 2-निविदाता फर्म/संस्था का नाम:-
- 3-पता एवं टेलीफोन नम्बर:-
- 4-संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर:-
- 5-पैन कार्ड नम्बर:-

## फाइनेन्शियल विड

### कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कुशीनगर।

#### निविदा पत्र

कार्य का विवरण-

आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/  
कम्प्यूटर सहायकों की सेवाएं लिये जाने हेतु।

निविदा आमंत्रित करने वाले पत्र की संख्या.....906/29क-वी0आर0सी0-2017 दिनांक.....01 जुलाई, 2017

- 1-निविदा का मूल्य - रुपये-500-00  
2-धरोहर की धनराशि - रुपये-20,000-00  
3-निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक - दिनांक 05.07.2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक  
4-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवा अवधि-

दिनांक 01.07.2017 से 28.02.2018 तक के लिए अनुबन्धित की जायेगी।

क्र.सं.	कार्मिक की श्रेणी	अनुमन्य पारिश्रमिक (minimum wages) के आधार पर	सेवा प्रदाता संस्था द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क/ Administrative Charges @ 8% on colum.3	योग (3+4)	सर्विस टैक्स @14% on colum no.5	स्वच्छ भारत सेंस @0.50% on colum no.5	कृषि कल्याण सेंस @0.50% on colum no.5	EPF एम्प्लायर शेर @12.36% on colum no.3	ESIC एम्प्लायर शेर @4.75% on colum no.3	सेवाप्रदाता संस्था की भुगतान की जाने वाली धनराशि का कुल योग- (5+6+7+8+9+10)	Deduction fo EPF एम्प्लायर शेर @12% on colum no.3	Deducti on fo ESIC एम्प्लायर शेर @ 1.75% on colum no.3	कार्मिकों को वास्तविक रूप से अनुमन्य कुल धनराशि- (3- (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डाटा इन्ट्री/कम्प्यूटर सहायक (प्रति कार्मिक)												

1-निविदाता दाता का नाम व हस्ताक्षर :-

2-निविदाता फर्म/संस्था का नाम:-

3-पता एवं टेलीफोन नम्बर:-

4-संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर:-

5-पैन कार्ड नम्बर:-



जिलाधिकारी/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
कुशीनगर।